निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 श्रावण 1941 (श0)
(सं0 पटना 934) पटना, वृहस्पतिवार, 8 अगस्त 2019

मद्य निषेद्य, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

अधिसूचना
8 अगस्त 2019

सं0 IV/एम[1]–1–20/2018–**2857—**रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (निबंधन एवं अन्य सम्बंधित विधि (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा यथा संशोधित) की धारा–69 की उप धारा (1) खण्ड (क) एवं (क क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निबंधन महानिरीक्षक, बिहार सरकार के अनुमोदन से, निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभः–(1) यह नियमावली **बिहार रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2019** कहलाएगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह अधिसूचना निर्गत की तिथि के प्रभाव से प्रवृत होगा।

2. बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2008 के नियम–19 के उप नियम (XVi) के प्रथम परंतुक के बाद निम्नलिखित एक नया परंतुक जोड़ा जाएगाः –

'' परन्तु यह और कि दिनांक–30.08.2018 को अधिसूचित बिहार रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2018 के प्रभावी होने के पूर्व जिन बहुमंजिली इमारतों/अपार्टमेंटों के कम से कम एक इकाई/फ्लैट का निबंधन हो चुका हो, उनके अन्य इकाईयों/फ्लैटों के निबंधन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ''

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

---

8 अगस्त 2019

सं0 IV/एम[1]–1–20/2018–**2857** उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

The 8th August 2019

NO.-IV/M[1]- 1-20/2018-**2857**—In exercise of the power conferred by clause (a) and (aa) of sub Section (1) of Section 69 of the Registration Act, 1908 (as amended by Registration and other related laws (amendment) Act, 2001 the Inspector General of Registration with the approval of the Government of Bihar makes following Rules: -

1. ***Short title, extent and commencement.—*** (1) These rules may be called the Bihar Registration (Amendment) Rules, 2019.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force with effect from the date of issue of notification.

2. The following new proviso shall be added after fist proviso to sub-rule (xvi) of Rule-19 of the Bihar Registration Rules, 2008: -

"Provided further that it will not affect the registration of units/flats of those multi-storied buildings/apartments of which at least one unit/flat has been registered before the Bihar Registration (Amendment) Rules, 2018 notified on 30.08.2018 came into force."

By order of the Governor of Bihar,
AMIR SUBHANI,
Additional Chief Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 934-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in